प्रेस नोटः- दिनांक –10-04-2025

थाना मुजरिया, जनपद- बदायूँ

> दिनांक 22/23-01-2025 की रात्रि में ट्रक ड्राइवर से हुई लूट की घटना में प्रकाश में आये 01 अन्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा चोरी किये गये माल को बेचकर प्राप्त 1500000/- रूपये बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डा0 बृजेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री के0के0 सरोज के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सहसवान के नेतृत्व में थाना मुजरिया पुलिस द्वारा दिनांक 22/23-01-2025 की रात्रि में ट्रक ड्राइवर से हुई लूट की घटना में प्रकाश में आये 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

*घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 17.01.2025 को ड्राइवर सरबजीत सिंह पुत्र सन्तोख सिंह नि0 गली नं0 15 कस्बा व थाना स्वरुप नगर दिल्ली, नेपाल से कृष्णा रिफाइनरी वीरगंज से रिफाइन्ड ऑयल ट्रक में लोड कराकर दिल्ली के लिये चला था । दिनांक 22/23.01.2025 की रात्रि में ट्रक चालक उपरोक्त ट्रक लेकर दातागंज के रास्ते बदायूं की तरफ जा रहा था। दातागंज के पास एक सफेद कार ने उसे ओवरटेक कर रोक लिया तथा ट्रक चालक उपरोक्त को उतारकर जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर कुछ नशीला पदार्थ पिला कर बेहोश कर दिया तथा बेहाशी हालत मे थाना मुजरिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सब्दलपुर के पास सड़क किनारे ट्रक ड्राइवर को छोड़कर ट्रक को मय माल के ले गये। जिसके सम्बन्ध मे ट्रक चालक सरबजीत उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना मुजरिया पर मु0अ0सं0 11/2025 धारा 309(4)/123 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
कार्यवाही- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ डा0 बृजेश कुमार सिंह के द्वारा उक्त घटना को गंभीरता के दृष्टिगत रखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री के0के0 सरोज के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सहसवान के नेतृत्व में थाना मुजरिया पुलिस द्वारा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य व धरातलीय सूचनाओं के आधार पर आज दिनाँक 10.04.2025 को घटना से संबंधित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त अखिल गुप्ता पुत्र स्व0 प्रभात कुमार गुप्ता निवासी घास मंडी निकट कुंवर जसवंत राय स्कूल थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा पूछने पर बताया कि दिनांक 22/23.01.2025 को अभियक्त मनीष गुप्ता व रितिक गुप्ता की फैक्ट्री मे 1500 टिन डायमंड रिफाइंड आयल के जो चोरी कर उतारे गये थे उसमे से 750 टिन मेरे द्वारा सस्ते दामों पर खरीदकर शिव कुमार तौलानी को 1537000/ रू0 में बेचा था तथा बाकी के टिन अभियुक्त दीपू गुप्ता उर्फ जयन्त गुप्ता जो मेरे रिस्तेदार भी है ने मनीष गुप्ता व रितिक गुप्ता के साथ मिलकर अन्य व्यापारियो को फुटकर मे बेच दिये है। जिसके बारे मे मुझे जानकारी नही है मेरी गाड़ी से पुलिस

द्वारा जो 1500000/- रूपये बरामद किये गये है यह वही रूपये है जो चोरी का माल शिव कुमार तौलानी को बेचने से मुझे प्राप्त हुये थे। जिन्हे मैने अपने पास सुरक्षित रख रखा था ताकि मै इनसे आगे व्यापार कर सकूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. अखिल गुप्ता पुत्र स्व0 प्रभात कुमार गुप्ता निवासी घास मंडी निकट कुंवर जसवंत राय स्कूल थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 11/2025 धारा 309(4)/123 बी0एन0एस0 थाना मुजरिया जनपद बदायूँ।

बरामदगी का विवरण (अबतक) –

1. चोरी किये गये माल से प्राप्त 2900000/- रूपये
2. ट्रक HR 61D 0097 जिसकी कीमत करीब 18 लाख रूपये
3. कुल 293 टिन जिसमे 287 खाली व 6 टिन भरे हुये डायमंड रिफाइंड आयल
4. एक चार पहिया वाहन (बैलेनो कार)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार
2. उ0नि0 विकास पुनीया
3. उ0नि0 संजीव कुमार
4. का0 1279 पवन कुमार
5. का0 मनीष कुमार (सर्विलांस सैल)

सोशल मीडिया सेल,

जनपद बदायूँ।